(11)

दिनांक – 03/06/2016

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएँ (RSD), पुस्तक वितरण अनुभाग (MPDD) तथा परीक्षा विभाग (Examination) के निदेशकों/ नियंत्रक की विभागीय सामंजस्य/ समन्वयन बैठक की कार्यसूची

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से सम्बन्धित मुद् दे जैसे अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से उनके प्रवेश, पाठ्य सामग्री तथा परीक्षा सम्बन्धी मुद् दों पर निदेशालय, क्षेत्रीय सेवाएँ (RSD), पुस्तक वितरण अनुभाग (MPDD) तथा परीक्षा विभाग (Examination) के निदेशकों/ नियंत्रक की विभागीय सामंजस्य/ समन्वयन बैठक दिनांक – 03/06/2016 में रखे जाने वाले बिन्दु –

1. विश्वविद्यालय में नामांकित समस्त विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्रों को अध्ययन केन्द्र समन्वयकों द्वारा सीधे मुख्यालय हल्द्वानी में मँगाये जाने पर विचार।

2. तत्काल प्रवेश (On the spot Admission) के लिए अध्ययन केन्द्रों को चिन्हित करने पर विचार।

3. पुस्तक वितरण प्रक्रिया पर विचार।

4. ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पर विचार।

5. कम संख्या वाले पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को सी0डी0/ स्पाइरल बाइंडिंग के माध्यम से पाठ्य सामग्री वितरण पर विचार।

6. अध्ययन केन्द्रों की सम्बद्धता के विषय पर नवीन नियमों को अपनाये जाने पर विचार।

7. देहरादून परिसर कार्यालय के सशक्तिकरण पर विचार

....

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से सम्बन्धित मुद् दे जैसे अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से उनके प्रवेश, पाठ्य सामग्री तथा परीक्षा सम्बन्धी मुद् दों पर दिनांक 03/06/2016 को अपराह्न 02:00 बजे सम्पन्न विभागीय सामंजस्य बैठक में चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत आख्या/ संस्तुति -

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रो0 एच.पी.शुक्ल, निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं
2. प्रो0 आर0सी0 मिश्र, निदेशक, एम0पी0डी0डी0
3. प्रो0 पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक

संस्तुतियां -

1. **विश्वविद्यालय में नामांकित समस्त विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्रों को अध्ययन केन्द्र समन्वयकों द्वारा सीधे मुख्यालय हल्द्वानी में मँगाये जाने पर विचार।**

   समिति द्वारा प्रकरण पर सहमति व्यक्त करते हुए मत व्यक्त किया गया कि इस सम्बन्ध में निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ स्पष्ट मानक तय कर स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

2. **तत्काल प्रवेश (On the spot Admission) के लिए अध्ययन केन्द्रों को चिन्हित करने पर विचार।**
   सहमति। चिन्हित अध्ययन केन्द्रों के मानकों एवं संख्या पर निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएँ स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

3. **पुस्तक वितरण प्रक्रिया पर विचार।**
   समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय दिया गया कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में पाठ्य सामग्री सीधे अध्ययन केन्द्रों को प्रेषित की जायेंगी। इस हेतु स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि जिन अध्ययन केन्द्रों में 50 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं वहॉ भारतीय डाक सेवा (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेंगी तथा जिन अध्ययन केन्द्रों में 50 से ज्यादा विद्यार्थी नामांकित हैं वहॉ वाहन या स्पीड पोस्ट (उस समय जो भी सुविधाजनक हो) के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेंगी। विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री शीघ्र वितरित किये जाने हेतु अध्ययन केन्द्रों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी होगी।

4. **ऑन-लाइन प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पर विचार।**
   समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय दिया गया कि ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क भुगतान केवल गेटवे के माध्यम से किया जायेगा। ऑन-लाइन प्रवेशार्थियों को आवेदन पत्र/ विवरणिका शुल्क रू0 100/- से मुक्त रखा जायेगा।

(9)

5. कम संख्या वाले पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को सी0डी0/ स्पाइरल बाइंडिंग के माध्यम से पाठ्य सामग्री वितरण पर विचार।

समिति द्वारा कम संख्या वाले पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को सी0डी0 अथवा स्पाइरल बाइंडिंग के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। जिस हेतु विद्यार्थियों को इस बात की छूट दी जायेगी कि वे अपनी मॉग/ इच्छानुसार सीडी अथवा स्पाइरल बाइंडिंग के विकल्प का चयन करेंगे। जिन विद्यार्थियों को मॉग के अनुसार सीडी उपलब्ध करायी जायेगी उन्हें प्रोग्राम फीस में 25 प्रतिशत की छूट होगी। मात्र स्पाइरल बांइडिंग पाठ्यसामग्री की मॉग पर पूरी फीस देय होगी।

6. अध्ययन केन्द्रों की सम्बद्धता के विषय पर नवीन नियमों को अपनाये जाने पर विचार।

वर्तमान में अध्ययन केन्द्र के साथ समझौता अनुबन्ध पत्र (MOU) के अर्न्तगत कार्यक्रम शुल्क के विभाजन की जो प्रक्रिया निर्धारित है उसमें परिवर्तन किया जाना है। व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त समिति की यह संस्तुति है कि –

1. अध्ययन केन्द्रों को उनके द्वारा दिये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति और मानदेय दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारित मानकों को पुन: परीक्षण कर लिया जाये और निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं के द्वारा पुन: नये मानकों एवं नियमों का निर्धारण अपने स्तर से किया जाये।
2. उक्तानुसार समझौता अनुबन्ध पत्र (MOU) को संशोधित किया जाए।
3. भविष्य में बनने वाले अध्ययन केन्द्रों पर नये नियम लागू होंगे तथा जिन अध्ययन केन्द्रों का समझौता अनुबन्ध पत्र (MOU) नवीनीकरण किया जाना होगा उनमें भी नवीन प्रक्रिया अपनाई जानी होगी।

7. देहरादून परिसर कार्यालय के सशक्तिकरण पर विचार

समिति द्वारा आपसी सहमति से सुझाव दिया गया कि प्रकरण पर निदेशक, परिसर देहरादून के मुख्यालय आने पर आयोजित बैठक में निर्णय लिया जाना होगा।

उक्तानुसार सर्वसम्मति से बैठक सम्पन्न हुई।

13/6/16	14/6/16	17.6.16
(एच0 पी0 शुक्ल)	**(आर0सी0 मिश्र)**	**(पी0डी0 पंत)**
निदेशक, क्षेत्रीय सेवाएं	**निदेशक, एम0पी0डी0डी0**	**परीक्षा नियंत्रक**

<u>अवलोकित एवं अनुमत</u>

11/7/16

(प्रो0 नागेश्वर राव)

कुलपति